UPSR010012632026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06538

जमानत आवेदन नं०-478/2026

1–मंगलेश्वर यादव उम्र 19 वर्ष पुत्र पतिराम,

2–अजय यादव उम्र 19 वर्ष पुत्र रामजीत यादव,

निवासीगण–कौवापुर, दा0–बकवा, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

............आवेदकगण / अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उ0 प्र0 ....अभियोगी

अ0सं0–129 / 2026
धारा–303(2), 317(2), 317(4), 3(5)
बी0एन0एस0
थाना–को0 भिनगा, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 19.06.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदकगण / अभियुक्तगण **मंगलेश्वर यादव** एवं **अजय यादव** की ओर से अपराध संख्या 129 / 2026, धारा 303(2), 317(2), 317(4), 3(5) बी0एन0एस0, थाना को0 भिनगा, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी मुकदमा रामबक्श यादव ने प्रभारी निरीक्षक थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती को इस आशय की तहरीर दिनांक 26.03.2026 को दिया कि उसका आज दिनांक 26.03.2026 के पूर्व रात्रि में एक भैंस व एक भैंसा दो जानवर रात्रि में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ले गये हैं। वह काफी परेशान हैं। जानवरों की कीमत करीब 110000 रूपये का था। जिस कारण उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि उक्त घटना की जांच करवाकर विपक्षीगणों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की याचना की गयी।

उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 303(2) बी0एन0एस0 में पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.06.19 15:59:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3–आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण तथाकथित घटना से अनभिज्ञ व अंजान हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है तथा एफ0 आई0 आर0 में किसी भी अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है। घटना दिनांक 26.03.2026 के पूर्व की है। अभियुक्तगण को मु0 अ0 सं0 233/2026 के मुकदमें में गिरफ्तार करके तथा जेल में निरूद्ध रहते हुये दिनांक 05.06.2026 को एक साथ मु0 अ0 सं0 129/2026, मु0 अ0 सं0 110/2026, मु0 अ0 सं0 51/2026, मु0 अ0 सं0 60/2026 में रिमाण्ड लेकर सह अभियुक्त जीवन लाल गोस्वामी की कथित स्वीकारोक्ति/बयान के आधार पर इस मुकदमें में प्रकाश में लाया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से अथवा निशानदेही से चोरी की गयी भैंस अथवा उसका कोई अंश बरामद नहीं हुआ है। विवेचना में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादी को उसकी भैंस प्राप्त हुई है अथवा नहीं। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की भैंस व भैंसा की चोरी की गयी है और उक्त भैंस व भैंसा आवेदकगण/अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुए हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक इतिहास है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना है।

5– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना।

6– अपराध संख्या 129/2026, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है। आवेकदगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने पास से चोरी की भैंस व भैंसा की बरामदगी से इंकार किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को दिनांक 05.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदकगण/अभियुक्तगण मंगलेश्वर यादव व अजय यादव का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **मंगलेश्वर यादव** व **अजय यादव** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 351 बी0एन0एस0एस के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा बीस–बीस हजार रूपये की एक–एक जमानत व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 19.06.2026